

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 25.6.25

रीडर/2025/ 5528

प्रार्थी
1 हीराराम पुत्र
आईदानराम जाति
जाट निवासी लाणी
कांठा मगने की
ढाणी तहसील
बाड़मेर ग्रामीण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रूपाराम पुत्र भोमाराम जाति प्रजापत 2
मगाराम 3 नरसिंगाराम 4 रामुराम पिसरान
शिवजीराम 5 किशन पुत्र हिराराम 6 रूपोदेवी
पत्नि हिराराम 7 खूमाराम पुत्र हिराराम 8
प्रकाश 9 लक्ष्मणराम पिसरान अचलाराम 10
हरियोदेवी पत्नि अचलाराम 11 रेखाराम पुत्र
आईदानराम 12 हुकमाराम 13 बाबूराम
पिसरान उत्तमाराम 14 देवाराम पुत्र गेमराराम
जातियान जाट निवासी लाणी कांठा मगने की
ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 672/2024 दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लाणी कांठा पटवार क्षेत्र कुडला तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 682/137 12.6100 हैक्टयर, भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल
में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी
की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 25.6.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5529-32

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य
अंकित करें।
2. पटवारी लाणी कांठा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को
मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण हीराराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी लाणी कांठा मगने की ढाणी तहसील
बाड़मेर ग्रामीण।
4. विप्रार्थीगण रूपाराम पुत्र भोमाराम वगैराह जाति प्रजापत जातियान जाट निवासी लाणी
कांठा मगने की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर